THE DD FREEDISH STORY

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has put forth key recommendations aimed at improving the organization of television channels in Electronic Program Guides (EPG) and upgrading DD Free Dish to an addressable system.

India's pay-TV industry, comprising cable and DTH servicTRAI recommends that the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) should collect data on the primary language and sub-genre of all television channels from broadcasters. This information should be publicly available on the Broadcast Seva portal, allowing distributors to arrange channels in the EPG systematically and consistently.

Additionally, MIB should obtain the same details for existing permitted channels, ensuring uniformity across all broadcasting platforms.

UPGRADING DD FREE DISH TO AN ADDRESSABLE SYSTEM

To enhance content security and combat piracy, TRAI recommends that Prasar Bharati upgrade DD Free Dish to an addressable system in a phased manner. The transition would:

डीडी फ्रीडिश की कहानी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में टेलीविजन चैनलों के संगठन में सुधार लाने और डीडी फ्रीडिश को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करने के उद्देश्य से प्रमुख सिफारिशें की हैं।

भारत का पेटीवी उद्योग, जिसमें केबल और डीटीएच सेवा शामिल है, ट्राई ने सिफारिश की है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) को प्रसारकों से सभी टेलीविजन चैनलों की प्राथमिक भाषा और उप-शैली पर डेटा एकत्र करनी चाहिए। यह जानकारी प्रसारण सेवा पोर्टल पर सार्व जनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वितरकों को ईपीजी में चैनलों को व्यवस्थित और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करने की अनुमति मिल सके।

इसके अतिरिक्त एमआईवी को मौजूदा अनुमत चैनलों के लिए समान वितरण प्राप्त करना चाहिए, ताकि सभी प्रसारण प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करना

भारत के नियामक ने कंटेंट की सुरक्षा बढ़ाने और पाइरेसी से निपटने के लिए ट्राई ने प्रसार भारती को चरणबद्ध तरीके से डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करने की सिफारिश की है। यह बदलाव होगाः

- Improve the quality of viewing experience
- Prevent unauthorized re-transmission of television signals
- Enable subscriber tracking and record-keeping
- MIB should issue an official notification outlining the transition timeline, allowing Prasar Bharati sufficient time to prepare and ensure a smooth migration for subscribers.

MANDATORY ENCRYPTION OF DD FREE DISH CHANNELS

- TRAI recommends a phased encryption of DD Free Dish channels, starting with private broadcaster content. By April 1, 2025, encryption should be mandatory for all private broadcaster signals before uplinking. Doordarshan and government educational channels may remain unencrypted initially. Eventually, within four years, all channels—including DD channels—should be encrypted.
- Additionally, the sale of non-addressable STBs should be prohibited by January 1, 2025, once addressable STBs become widely available.

CONSUMER AWARENESS AND SUBSIDIZED STBS

- To facilitate the transition, TRAI recommends that Prasar Bharati authorize Indian STB manufacturers to produce addressable STBs, which should be:
- Available by January 1, 2025, through authorized distribution networks.
- Provisioned only after KYC verification, as per MIB guidelines.
- Offered at subsidized rates for underprivileged communities through Direct Benefit Transfer (DBT) schemes, if implemented by the government.
- Prasar Bharati should also conduct awareness campaigns via TV scrolls, print media, and digital platforms to educate consumers about the upcoming transition and benefits of addressable STBs.

These recommendations from TRAI aim to bring greater organization, transparency, and security to India's television broadcasting sector. By standardizing EPG listings, upgrading DD Free Dish to an addressable system, and promoting indigenous technologies, India can ensure a more efficient, consumer-friendly, and technologically advanced broadcasting ecosystem. ■

- देखने की अनुभव की गुणवत्ता में सुधार करना
- टेलीविजन सिगनल के अनधिकृत पुनः प्रसारण को रोकें
- सब्सक्राइबर ट्रैकिंग और रिकार्ड कीपिंग को सक्षम करें
- एमआईबी को संक्रमण समयसीमा को रेखांकित करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिससे प्रसार भारती को ग्राहकों के लिए सुचारू माइग्रेशन की तैयारी करने और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

डीडी फ्री डिश चैनलों का अनिवार्य एन्क्रिप्शन

- ट्राई ने निजी प्रसारक सामग्री से शुरू करते हुए डीडी फ्री डिश चैनलों के चरणबद्ध एन्क्रिप्शन की सिफारिश की है। 1 अप्रैल 2025 तक अपलिंकिंग से पहले सभी निजी प्रसारक सिगनलों के लिए एन्क्रिप्शन अनिवार्य होना चाहिए। दूरदर्शन और सरकारी शैक्षिक चैनल शुरू में अनएन्क्रिप्टेड रह सकते हैं। ट्राई ने यह भी बताया कि आखिरकार, चार साल के भीतर, सभी चैनल डीडी चैनल सहित–एन्क्रिप्टेड होने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त ट्राई ने अपनी सिफारिशों में यह भी बताया है कि एकबार एड्रेसेबल एसटीबी व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाने के बाद 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के गैर एड्रेसेबल एसटीबी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

उपभोक्ता जागरूकता और सब्सिडी वाले एसटीबी

- इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, ट्राई ने सिफारिश की है कि प्रसार भारती भारतीय एसटीबी निर्माताओं को
- एड्रेसेबल एसटीबी बनाने के लिए अधिकृत करे, जो किः
- अधिकृत वितरण नेटवर्क के माध्यम से 1 जनवरी 2025 तक उपलब्ध हो।
- एमआईबी दिशानिर्देशों के मुताबिक केवाईसी सत्यापन के बाद ही प्रावधान किया जायेगा।
- यदि सरकार द्वारा इसे लागू किया जाता है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों के लिए रियायती दरों पर पेश किया जायेगा।
- प्रसार भारती को बदलाव व एड्रेसेबल एसटीबी के बारे में उपभोक्ताओं को टीवी स्क्रॉल, प्रिंट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए।

ट्राई की इन सिफारिशों का उद्देश्य भारत के टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में अधिक संगठन, पारदर्शिता और सुरक्षा लाना है। ईपीजी लिस्टिंग को मानकीकृत करके, डीडी फ्रीडिश को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करके और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देकर, भारत एक अधिक कुशल, उपभोक्ता अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत प्रसारण पारिस्थितिकीतंत्र सुनिश्चित कर सकता है। ■